वित्तीय स्वीकृति/समयबद्ध/फैक्स
संख्या-4/2017/64/55-पर्या-2017-36(पर्या)/14 टी0सी0

प्रेषक,

श्री आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1101/55-पर्या/2017, दिनांक 23.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन मे0 ईकोमैन लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा वाराणसी व मेरठ की स्टेट्स आफ इन्वायरमेन्ट रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु प्रश्नगत योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) में से रू0 2,20,000.00 (रूपये दो लाख, बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के लेखाशीर्षक "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन - आयोजनागत- 003- पर्यावरणीय शिक्षा / प्रशिक्षण / विस्तार-4-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2017/64(1)/55-पर्या-2017-36(पर्या)/14टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।